

राजस्थान सरकार
इन्दिरा गांधी नहर परियोजना

मांक : एफ 3(2) इगानवि / विशा / 2017

जयपुर, दिनांक : 7 FEB 2017

अधिसूचना

इसके राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ संलग्न सूची के अनुसार जिले की निर्मित गिराजसर वितरिका किमी 31.000 से 39.000 तक भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह विज्ञप्ति जारी कर भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत को एतद् द्वारा अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी, इगानप, बीकानेर को उक्त प्रयोजनार्थ प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है।

विशेष संलग्न सूची के अनुसार

तारीख - सदी

आज्ञा से
(श्रीफल मोहा)
शासन उप सचिव,
इन्दिरा गांधी नहर विभाग,
जयपुर।

मांक : एफ 3(2) इगानवि / विशा / 2017

जयपुर, दिनांक 7 FEB 2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. मुख्य अभियन्ता, इगानप, बीकानेर।
2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री/अधीक्षक, राज्य केंद्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि कृपया आगामी प्रकाशित होने वाले राजपत्र के असाधारण विशेषांक में प्रकाशित कर उसकी एक उद्धरण प्रति इस विभाग को शीघ्र अवगत कराने की व्यवस्था करावें।
3. आयुक्त, उपनिवेशन, इगानप, बीकानेर (घाज0)।
4. जिला कलेक्टर, बीकानेर।
5. अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय चरण वृत्त प्रथम, इगानप, बीकानेर।
6. अधिशासी अभियन्ता, कोलायत लिफ्ट खण्ड, इगानप, बीकानेर को निम्नलिखित कार्यवाही बाबत प्रेषित कर लेख है कि (क) भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करे। अधिसूचना को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन (जन सम्पर्क निदेशालय के माध्यम से) करावें। संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम जिला उपलब्ध करापये जाने बाबत। (ख) इस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की कार्यवाही हेतु।
7. भूमि अवाप्ति अधिकारी, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि घोषणा का सारांश सूचनार्थ यथोचित सार्वजनिक स्थानों पर चरपा की कार्यवाही कराने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. उपखण्ड अधिकारी, कोलायत, जिला बीकानेर।
9. उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु0कोलायत, जिला बीकानेर।
10. ग्राम सेक्टर एवं पंचायत सचिव ग्राम पंचायत बीकानेर तहसील कोलायत।
11. इका प्रबन्धनी।

(श्रीफल मोहा)
शासन उप सचिव

फार्म-2

(देखें नियम-6)

पार्ट बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा

(क) परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशायी अभियन्ता, कोलायत लिफ्ट खण्ड, इगानप, बीकानेर
प्रस्तावित परियोजना के संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।	इस खण्ड के अधीन निर्मित नहर गिराजपुर वितरिका किमी 31.000 से 39.000 तक भूमि आवाप्ति किया जाना है अतः जिला बीकानेर तहसील कोलायत ग्राम पंचायत बीठनोक, कुल 119 बीघा 3 बीस्वा
(ख) सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण किया कलाप जिसके अन्तर्गत (1) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक/सुनवाई/सं भी दे।	(i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई
(ग) यदि ग्राम सेवक सभा और/या भू स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) अन्तर्गत लागू नहीं है।
(घ) सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समुह सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अवेअरबल परणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट व सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारण प्रक्रिया व समुह के अनुसूच
(ड) इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शुन्य हो जाएगी।	हां
(घ) सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधी जानकारी	कार्यालय अधिशायी अभियन्ता कोलायत लिफ्ट खण्ड इगानप बीकानेर में उपलब्ध